न्यायालय संभागीय आयुक्त, सीकर संभाग, सीकर
पीठासीन अधिकारी डॉ0 मोहन लाल यादव (आई.ए.एस)

अपील संख्या 439/2023

1. कमलेश पत्नी अजीत सिंह
2. सुरजी देवी पत्नी भागीरथ
3. सरजो देवी पत्नी बल्लूराम

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम झाडली, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—:अपीलान्टः—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार श्रीमाधोपुर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. उपखण्ड अधिकारी [redacted], श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—:रेस्पोडेन्ट्सः—

उपस्थितिः—

1. श्री शिवदयाल यादव एडवाकेट अपीलांट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.12..2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के आदेश दिनांक 29.11.2021 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नं0 1914 अपीलान्ट के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है व जिसके अनुसार काबिज काश्तकार है। अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि पर पूर्व में कोई भी रास्ता विद्यमान नही होते हुए भी रेस्पोडेन्ट के समक्ष एक फर्द मौका रिपार्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर नही है जिस पर केवल मात्र पटवारी हल्का, भू— अभिलेख निरीक्षक व दीगर अजनबी व्यक्तियो के हस्ताक्षर है तथा उक्त लोगों ने सरसरी तौर पर हस्ताक्षर करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रास्ते के लिये अभिशंषा करने की कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा बिना कोई सूचना

संभागीय आयुक्त
सीकर

नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश में दर्ज रास्ते की किसी भी खातेदार को अथवा ग्रामवासी, ढाणीवासी को कोई आवश्यकता नही होते हुए भी मौके पर रास्ता विद्यमान नही होते हुए भी अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं0 1914 में विधि विरूद्ध तरीके से गै.मु. रास्ते की भूमि अंकित करने के आदेश प्रदान कर दिये। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 01.03.2023 को पशुधन पर ऋण लेने के लिए जमाबंदी की आवश्यकता होने पर जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो अपीलान्ट को जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 3245 दिनांक 12.01.2023 न्यायालय आदेश का अंकन मिला, तब अपीलान्ट ने संबंधित कार्यालय में जाकर उक्त नामान्तकरण व आदेश के बारे में जानकारी की तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को प्राप्त हुई। अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा प्रार्थना पत्र उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम कालू सिंह में पारित आदेश 29.11.2021 तथ्यों व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132 के विधिक प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रत्यर्थीगण की विधिवत तामिल होने के बावजूद होने न्यायालय में उपस्थित नहीं।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस अपील पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान में अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता दर्ज करने के संबंध मे ग्राम पंचायत से दिनांक 28.11.2021 को जो प्रस्ताव लिया गया उसमें मौके पर रास्ता 10 वर्षो से चालू है तथा पटवारी हल्का द्वारा रास्ता 25 वर्षो से चालू होना बताया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.11.2021 में मौके पर रास्ता झाडली रोड से गोकुल सिंह के मकान तक 40 वर्षो से चालू होना वर्णित किया गया है। जिससे भलिभांति स्पष्ट है कि पटवारी हल्का रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व तहसीलदार से प्राप्त प्रस्ताव में विरोधाभाषी तथ्य अंकित किये गये है। अपीलांट की खातेदारी भूमि में मनमाफिक तरीके से रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये गये जो कि सरासर गलत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 29.11.2021 को खारिज फरमाया जावे।

बहस अपीलार्थी पर मनन किया। पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर द्वारा दिनांक 29.11.2021 को कृषि भूमि खसरा 1913, 1914, व 1911 ग्राम झाड़ली में से मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जमाबंदी संवत् 2074–2077 में खसरा नं0 1914 के अपीलांटस बतौर खातेदार अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें जाहिर हुआ है कि उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश मे रास्ते को 40 वर्षो से प्रचलित बताया है व

संभागीय आयुक्त
सीकर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रस्ताव में रास्ते को 25 वर्षो से मौके पर चालू बताया है तथा ग्राम सभा प्रस्ताव मे उक्त रास्ते को 10 वर्षो से चालू होना बताया है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के आदेश , तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव तथा ग्राम सभा के प्रस्ताव से प्रचलित रास्ते की अवधि में स्पष्ट विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस जो कि कृषि भूमि खसरा नं0 1914 के खातेदार काश्तकार है उनको कोई सूचना व अपना पक्ष रखने का अवसर नही दिया गया। खातेदार को बिना सुचित किये हुए उसके खातेदारी की भूमि पर किसी प्रकार आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत व न्यायहित में नही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2021 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 खारिज किया जाता है।

(डॉ0 मोहन लाल यादव)
संभागीय आयुक्त,
सीकर

निर्णय आज दिनांक 12.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
सीकर